

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
 अधिकार से प्रकाशित
 PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 3 2001 (माघ 14, 1922)
 नं. 5] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 3, 2001 (MAGHA 14, 1922)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
 (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांख्यिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय स्टेट बैंक

मुम्बई, दिनांक 12 जनवरी 2001

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 (वर्ष 1955 का 23वां) की धारा 50 की उप-धारा (1) और (2) के अंतर्गत प्रवृत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, भारतीय स्टेट बैंक का केन्द्रीय बोर्ड रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके और केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी से भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियमन, 1955 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्—

संक्षिप्त नाम और लागू होने की तिथि

1 (1) विनियमों को भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियमन (संशोधन) विनियमन, 2000 के नाम से पुकारा जाएगा।

(2) ये विनियम 25 नवम्बर 2000 से लागू समझे जायेंगे।

विनियम 47 (क) का प्रतिस्थापन

2 (1) भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियमन, 1955 में,

विनियम 47 (क) के स्थान पर निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

अध्याय-6 क

स्थानीय प्रधान कार्यालयों का अधिकार-क्षेत्र

“47 क (1) नीचे तालिका के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट स्थानीय प्रधान कार्यालयों का अधिकार-क्षेत्र स्तंभ (2) में क्रमशः विनिर्दिष्ट प्रादेशिक क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली शाखाओं के ऊपर रहेगा।

तालिका

स्थानीय प्रधान कार्यालय	प्रादेशिक क्षेत्र
(1)	(2)
अहमदाबाद	गुजरात राज्य और दमन, दिव दादरा एवं नगर हवेली संघ शासित प्रदेश।

बंगलूर	कर्नाटक राज्य।	(ब) उत्तरांचल राज्य के छह जिले, अर्थात्, नैनीतलमोड़ा, पिथौरागढ़, उधमसिंह नगर, बागेश्वर और चम्पावट।
भोपाल	मध्य प्रदेश राज्य और छत्तीसगढ़ राज्य।	स्पष्टीकरण ज्ञापन :
भुवनेश्वर	उड़ीसा राज्य।	केन्द्र सरकार ने उपर्युक्त संशोधनों के लिए अनुमोदन कर दिया है और तदनुसार, एस वी आई सामान्य विनि संशोधन किया गया है।
मुंबई	महाराष्ट्र राज्य और गोवा राज्य।	पाद टिप्पण :
कलकत्ता	पश्चिम बंगाल राज्य, सिक्किम राज्य और संघ शासित प्रदेश अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह।	उपयुक्त विनियमों में पूर्व में किए गए संशोधनों को नीचे दिए गए अधिसूचना संख्या के अनुसार राजपत्र (गजट) में प्रकाशित किया गया है, जो निम्नानुसार है :
चंडीगढ़	हरियाणा राज्य (जिसमें फरीदाबाद, मुहगांव और सोनीपत जिले शामिल नहीं हैं), हिमाचल प्रदेश, जम्मू एण्ड कश्मीर और पंजाब राज्यों तथा संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़।	अधिसूचना संख्या प्रकाशन की तिथि
गुवाहाटी	असम, नागालैण्ड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों।	45 6 नवम्बर, 1999
हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश राज्य और पाण्डिचेरी संघ शासित प्रदेश के अंतर्गत आनेवाला यानम।	राधाकृष्णन् उप प्रबंध निदेशक। कारपोरेट विकास अधिकारी
लखनऊ	उप-विनियम 2(ख) में परिभाषित उत्तर-प्रदेश राज्य का मध्य और पूर्वी अंचल (क्षेत्र) तथा उप-विनियम 2(घ) में परिभाषित उत्तरांचल के छह जिले।	यूको बैंक (प्रधान कार्यालय) कार्मिक विभाग
चेन्नई	तमिलनाडु राज्य और पाण्डिचेरी संघ शासित प्रदेश।	कलकत्ता--700001, दिनांक 16 दिसम्बर 2000
नई दिल्ली	राजस्थान राज्य, उप-विनियम 2(क) में परिभाषित उत्तर प्रदेश राज्य का पश्चिमी अंचल (क्षेत्र) हरियाणा राज्य के फरीदाबाद, मुहगांव और सोनीपत जिले, दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा उप-विनियम 2(ग) में परिभाषित उत्तरांचल के सात जिले।	सं० ओसीआर/1/2000—बैंककारी कंपनी (अधिनियमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) के धारा 12 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूको बैंक का निदेशक मंडल भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—
पटना	बिहार राज्य और झारखंड राज्य।	1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :
तिरुवनंतपुरम	केरल राज्य, लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश और पाण्डिचेरी संघ शासित प्रदेश का माहे।	(1) इन विनियमों को यूको बैंक अधिकारी (अनुशासन एवं अपील) संशोधन विनियम, 2000 कहा जा सकेगा।
2. (क) उत्तर-प्रदेश राज्य के पश्चिमी अंचल में उस राज्य के निम्नलिखित जिले, अर्थात्, आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, एटा, गाजियाबाद, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, फिरोजाबाद, हाथरस, बामनपुर और गौतमबुद्ध नगर शामिल होंगे।		(2) ये राजकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख लागू होंगे।
(ख) उत्तर प्रदेश राज्य के मध्य एवं पूर्वी अंचल में उत्तर-प्रदेश राज्य का वह सभी भाग शामिल होगा जो भाग खण्ड (क) में परिभाषित उस राज्य के पश्चिमी अंचल में शामिल नहीं है।		2. यूको बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं विनियम, 1976 के विनियम 6 में, उप-विनियम (2) को निम्न लिखा के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :
(ग) उत्तरांचल राज्य के सात जिले, यथा, चमोली, देहरादून, पौड़ी, टेहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, हरिद्वार और रुद्र प्रयाग।		“24 नवम्बर 2000 को महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर प्रतिबंध : (1) कोई भी अधिकारी कर्मचारी किसी भी कामकाजी महिला का उसके कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न नहीं करेगा। (2) प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी, जो किसी कार्यस्थल का प्रभारी है, उस कार्यस्थल पर किसी महिला का यौन उत्पीड़न नहीं करेगा। न केवल संशोधन में उपर्युक्त व्यवस्था करेगा।

स्पष्टीकरण :

इस विनियम के प्रयोजनार्थ "यौन उत्पत्ति" के अंतर्गत निम्नलिखित अश्विनी यौन आधारित व्यवहार (सीधे अथवा अन्यथा) शामिल है :

- (क) शारीरिक तथा इस ओर आगे बढ़ना
- (ख) यौनतुष्टि को मांग अथवा अनुरोध
- (ग) यौनपरक टिप्पणियाँ
- (घ) अश्लील चित्र का प्रदर्शन, अथवा
- (ङ) यौन प्रकृति का कोई अश्विनी, शारीरिक, वाचिक अथवा सांकेतिक आचरण।

यू० एस० सिंह
महाप्रबंधक (कार्मिक)

सं० ओडीएआर/3/2000--बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की 12 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तों का प्रयोग करते हुए यू० एस० सिंह का निदेशक मंडल भारतीय बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार की पूर्ण स्वीकृति द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-

- (1) इन विनियमों को यू० एस० सिंह अधिकारी (अनुशासन एवं अपील) संशोधन विनियम, 2000 कहा जा सकेगा।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

यू० एस० सिंह अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1976 के विनियम 6 में, अधिनियम (2) को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

“(2) जब कभी अनुशासनिक अधिकारी की राय हो कि किसी अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ दुराचरण या कदाचार के किताब अम्यारोपण की सत्यता की जांच करने के लिए आधार है, तो वह स्वयं उसकी सत्यता की जांच कर सकेगा या किसी अन्य व्यक्ति, जो लोक सेवक है या रहा हो (जिसे इसमें इसके पश्चात् जांच प्राधिकारी कहा गया है) को उसका सत्यता की जांच करने के लिए नियुक्त कर सकेगा।”

रीक

अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं जांच करता है तो उप-धारा (8) से लेकर अधिनियम (21) तक में जांच प्राधिकारी की किसी निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह सैनिक प्राधिकारी के प्रति निर्देश है।”

अधिकारी का नाम : यू० एस० सिंह
अधिकारी का पदनाम : महाप्रबंधक (कार्मिक)
फाइल-सं०

पाठ-टिप्पणी : उपर्युक्त विनियमों में पहले किए गए संशोधन निम्न-लिखित विवरण के अनुसार राजपत्रित किए गए थे :

अधिसूचना संख्या

1. ओडीएआर/1/1997 दिनांक 22 अगस्त, 1997
2. ओडीएआर/1/2000 दिनांक 20 जुलाई, 2000
3. ओडीएआर/2/2000 दिनांक 8 अगस्त, 2000

छावनी परिषद फ्लेमेट, टाउन

फ्लेमेट टाउन छावनी दिनांक 2001

का० नि० आ०-31/व्यापार एवं व्यवसाय कर—छावनी अधिनियम 1924 की धारा 61 की अपेक्षानुसार फ्लेमेट टाउन छावनी की सीमा के अंतर्गत व्यापार एवं व्यवसाय कर आरोपित करने से संबंधित लोक सूचना प्रस्ताव का एक प्रारूप उक्त छावनी परिषद के कार्यालय के सहज दृश्य भाग पर लगाकर सार्वजनिक सूचना के लिए 12 जुलाई, 2000 को प्रकाशित किया गया था। उक्त सूचना के लिए प्रकाशित की तारीख से तीस दिन की अवधि का उल्लेख है, उन उम्मीदवारों से जिनके इनसे प्रभावित होने का संभावना थी, आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे।

और उक्त अवधि की समाप्ति तक छावनी परिषद फ्लेमेट टाउन को जनता से कोई आक्षेप अथवा सुझाव प्राप्त नहीं हुए।

अतः अधिनियम की धारा 60 प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० बि० आ०-338 दिनांक 11-11-1959 को भारत सरकार के राजपत्र भाग-II, भाग 4 में प्रकाशित की गई थी, का अतिश्रमण करने हुए केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमति से छावनी परिषद, फ्लेमेट टाउन द्वारा एक कर आरोपित करता है जो व्यापार तथा व्यवसाय कर में जाना जाएगा और यह प्रत्येक व्यक्ति जो फ्लेमेट टाउन छावनी सीमा के अंतर्गत विभिन्न समूह अथवा समान वर्ग में आते हों तथा जिनका उल्लेख अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रत्येक समूह अथवा वर्ग के सम्मुख निम्नलिखित शर्तों सहित उल्लिखित घरों पर सदेव होगा, अर्थात् :

- (क) कोई व्यक्ति जो एक से अधिक परिसर में व्यापार व्यवसाय जीविका कर रहा है तो उन व्यापार व्यवसाय या जीविका पर प्रत्येक परिसर का अलग कर देय होगा।
- (ख) एक व्यक्ति जो वर्ष की पहली छमाही या दूसरी छमाही में व्यापार, व्यवसाय या जीविका करता है तो उसे पूरे वर्ष के कर का दो तिहाई कर देय होगा।
- (ग) किसी व्यक्ति द्वारा वर्ष भर में समस्त धनराशि रुपये दो हजार पांच सौ से अधिक देय नहीं होगी।

2. यह सूचना निम्नलिखित पर अप्रभावी होगी।
- (1) कोई भी व्यक्ति सैन्य अधिनियम के प्रावधान के अन्तर्गत आता हो।
 - (2) कोई भी व्यक्ति जो जीविका के लिए मुख्यतया खेती पर निर्भर है।
 - (3) कोई भी व्यक्ति जो कि दैनिक, साप्ताहिक और मासिक वेतन पर सेवा करता हो।

नोट :—

1. एक व्यक्ति में, अविभाजित हिन्दु परिवार, फर्म, कम्पनी तथा दूसरे विविध व्यक्ति सम्मिलित है।
2. एक वर्ष की गणना एक अप्रैल से 31 मार्च तक होगी।
3. एक व्यक्ति जिसका निवास, कार्यालय या भण्डार छावनी क्षेत्र में बाहर हो किन्तु कार्य स्थल छावनी क्षेत्र के अन्तर्गत हो तो उसका व्यापार, व्यवसाय या जीविका छावनी क्षेत्र में माना जायेगा।
4. कोई भी व्यापार, व्यवसाय या जीविका जो फेरीवाले के रूप में चलते हो, जब तक कि विशेषरूप से उल्लेख न हो तो वे उस व्यापार, व्यवसाय और जीविका के लिए निर्धारित कर का आधा अदा करेगा।

जे० सी० उपाध्याय
छावनी अधिवासी अधिकारी
क्लेमेंट टाउन

अनुसूची

अनुबन्ध-ग

	र०
1. अण्डे विक्रेता	50.00
2. मीठ विक्रेता	60.00
3. मुर्गी के बच्चे विक्रेता	50.00
4. मछली विक्रेता	55.00
5. दूध विक्रेता	40.00
6. मक्खन विक्रेता	50.00
7. उबल रोटी, बिस्कुट एवं केक विक्रेता	50.00
8. खिलौने विक्रेता	50.00
9. फल विक्रेता	30.00
10. अरेटिड वाटर, आईस क्रीम एवं गर्बत विक्रेता	40.00
11. मिठाई विक्रेता	20.00
12. मिठाई, नमकीन व दूध विक्रेता	75.00
13. होम्योपैथिक दवाईयों के विक्रेता	75.00
14. स्वदेशी दवाईयों के विक्रेता	75.00
15. घास, भूसा एवं अन्य चारा विक्रेता	55.00

16. घास, भूसा एवं अन्य चारा विक्रेता (फेरीवाला)	20.00
17. अंग्रेजी दवाईयों के विक्रेता	100.00
18. ज्वैलर्स एवं सराफ	100.00
19. रेडीमेड कपड़ों के विक्रेता	60.00
20. कारपेट, फर और गाल विक्रेता	150.00
21. चमड़े का सामान विक्रेता	100.00
22. लकड़ी, पीतल एवं अन्य धात्विक सामान नक्काशीदार	100.00
23. जूअलरी बनाने वाला	50.00
24. चमड़े एवं चड़ी विक्रेता	100.00
25. काँच की बूझियों के विक्रेता	25.00
26. मुरब्बा एवं आचार विक्रेता	25.00
27. काबाड़ी एवं पुराने सामान के खरीदार	25.00
28. दस्त मंजन एवं सुगन्धित धूप विक्रेता	25.00
29. देशी ची एवं सम्झी के विक्रेता	40.00
30. जूते की मरम्मतकर्ता एवं मोची	15.00
31. परचूनी वस्तुएं जैसे—मसाले, दालें, सूखे मेवे, आटा, चीनी एवं गुड़ इत्यादि	150.00
32. पतसारी वस्तुएं विक्रेता	40.00
33. गन्ने का जूस विक्रेता	25.00
34. सिगरेट, बीड़ी एवं तम्बाकू विक्रेता	50.00
35. कारपेट एवं रस्ती विक्रेता	20.00
36. मिट्टी के बर्तनों के विक्रेता	15.00
37. मिट्टी के तेल के विक्रेता	25.00
38. डेरी ची एवं दूध बेचने वाले	200.00
39. बेकरी का सामान बनाने वाले	150.00
40. मांस बेचने वाला	100.00
41. आतिशबाजी एवं पटाखे बनाने वाले	100.00
42. घोड़ी का काम करने वाले	30.00
43. घड़ीसाज	40.00
44. हिंडोले वाला	15.00
45. चक्कर देने वाला हिंडोला	20.00
46. चरखी वाला भूला	25.00
47. फोटोग्राफर	100.00
48. सोने के जेवरों बनाने वाला	60.00
49. चांदी के जेवरों बनाने वाला	30.00
50. सिनेमा चलाने वाला	100.00
51. ए०एस०सी० के मीठ के ठेकेदार	200.00
52. ए०एस०सी० के सुअर के मीठ के ठेकेदार	100.00
53. ए०एस०सी० के अण्डे, मछली व मुर्गे मीठ के ठेकेदार	16
54. ए०एस०सी० के जीवित पशुओं के ठेकेदार	120

	रु०		रु०
55. ए०एस०सी० के लकड़ी के ठेकेदार	160.00	87. ईट, बजरी एवं चूनापत्थर विक्रेता	100.00
56. ए०एस०सी० के सड़जी प्याज व आलू के ठेकेदार	160.00	88. जनरल मर्चेन्ट इन्क्लूडिंग परचूनी धी, मिट्टी तेल स्टील बर्तन, हेयर आयल, स्टेशनरी, सिगरेट व ट्रंकस	250.00
57. ए०एस०सी० के बिना बूझे चुने के ठेकेदार	60.00	89. कपड़े बेचने वाला दुकानदार	100.00
58. ए०एस०सी० के सूखे सेबे एवं ताजे फलों के ठेकेदार	60.00	90. फेरी द्वारा कपड़े बेचने वाला	60.00
59. ए०एस०सी० के वाहन किराए पर देने वाले ठेकेदार	200.00	91. दूसरे व्यवसाय जो ऊपर नहीं हैं	100.00
60. ए०एस०सी० के मिन्टरल वाटर के ठेकेदार	100.00	92. सोने चांदी के जेवर बनाने वाला	60.00
61. ए०एस०सी० के बर्फ के ठेकेदार	120.00	93. खिलौने बेचने वाला (फेरीवाला)	30.00
62. ए०एस०सी० के घास भूसा व अन्य चारा के ठेकेदार	150.00	94. चाट बेचनेवाला	30.00
63. ए०एस०सी० के लकड़ी के कोयले के ठेकेदार	200.00	95. फल एवं सब्जी के दुकानदार	100.00
64. ए०एस०सी० के ठेकेदार जिनका विवरण ऊपर नहीं है	250.00	96. एक मशीन वाले दर्जी	25.00
65. पी०डब्ल्यू०डी० एवं एम०ई०एस० के ठेकेदार	1000.00	97. एक मशीन से अधिक वाले दर्जी	50.00
66. रेजिमेंटल बनिया	150.00	98. चाय बेचने वाले दुकानदार	75.00
67. रेजिमेंटल दर्जी	100.00	99. एरिजेटिड वाटर फैक्ट्री	200.00
68. रेजिमेंटल काफी एवं चायवाला	100.00	100. चना, मूंगफली विक्रेता	25.00
69. रेजिमेंटल जूतों की दुकान	60.00	101. पैसा व्याज पर देने वाले साहूकार (मनीलेंडर)	500.00
70. रेजिमेंटल साइकिल की दुकान	100.00	102. स्वदेशी व बाईयों के विक्रेता एवं निर्माता	250.00
71. रेजिमेंटल धोबी	50.00	103. साइकिल किराये पर देने वाले दुकानदार	150.00
72. मैस और क्लब के ठेकेदार	200.00	104. साइकिल एवं उसके पार्ट्स बेचने वाला	120.00
73. सामाचार पत्र सप्लाय करने वाला	50.00	105. आटा, चावल एवं तेल मिल चलाने वाले	150.00
74. पिगरी ठेकेदार व पिगरी प्रोडक्ट्स के सप्लायर	150.00	106. बुक बोण्ड, लिप्टन एवं अन्य चाय के सप्लायर	100.00
75. चीक, चटाई एवं टोगरी के विक्रेता	30.00	107. मिठाई की गोशियां बेचने वाला (फेरीवाला)	50.00
76. रंगरेज	20.00	108. नाई के ठेकेदार	80.00
77. दो दर्जी से अधिक की दर्जी की दुकान एवं रेडीमेड	75.00	109. एस०टी०डी०/आई०एस०डी०/पी०सी०ओ० बूथ	500.00
78. नाई की दुकान	20.00	110. बिजली का सामान विक्रेता	200.00
79. नाई बाल काटने व सँभारने वाला सेलून	100.00	111. बिजली का सामान मरम्मत करने वाला दुकानदार	200.00
80. सिनेमा व रेस्टोरेन्ट चलाने वाले	200.00	112. ब्यूटी पार्लर चलाने वाले	200.00
81. वो नाईवाला सेविंग सैलून	100.00	113. विडियो केसेट लाइब्रेरी	200.00
82. खेल का सामान बेचने वाला (फेरीवाला)	50.00	114. आर्चीटेक्ट, डिजाइनर, कन्सेलटेन्ट इंजीनियर	200.00
83. आईसक्रीम बेचनेवाला (फेरीवाला)	30.00	115. स्टॉक ब्रोकरस	200.00
84. रेस्टोरेन्ट चलाने वाले	100.00	116. कुटीर उद्योग एवं फैक्ट्री	500.00
85. होटल चलाने वाले	300.00		
86. अंग्रेजी शराब बीयर व देशी शराब के विक्रेता	500.00		

STATE BANK OF INDIA

Mumbai the 12th January, 2001

In exercise of the powers conferred under sub-sections (1) and (2) of Section 50 of the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955), the Central Board of the State Bank of India, after consultation with the Reserve Bank and with the previous sanction of Central Government, makes the following regulations to further amend the State Bank of India General Regulations, 1955, namely —

Short title and Commencement

1(1) The Regulations may be called the State Bank of India General Regulations (Amendment) Regulations, 2000

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from 25th day of November, 2000

Substitution of Regulation 47-A

2(1) in the State Bank of India General Regulations, 1955 for regulation 47-A, the following regulation shall be substituted, namely :—

CHAPTER VI-A

JURISDICTION OF LOCAL HEAD OFFICES

“47A(1) local Head Office specified in Column(1) of the Table below shall have jurisdiction over the branches falling within the territorial areas respectively specified in column(2).

TABLE

Local Head Offices	Territorial Areas
(1)	(2)
Ahmedabad	The State of Gujarat and the Union Territories of Daman Diu, Dadra and Nagar Haveli.
Bangalore	The State of Karnataka.
Bhopal	The State of Madhya Pradesh and Chattisgarh.
Bhubaneswar	The State of Orissa.
Mumbai	The States of Maharashtra and Goa.
Calcutta	The State of West Bengal, Sikkim and Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands.
Chandigarh	The States of Haryana (excluding the District of Faridabad, Gurgaon and Sonapat), Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Punjab and Union Territory of Chandigarh.

(1)	(2)
Guwahati	The States of Assam, Nagaland, Manipur, Meghalaya, Tripura, Mizoram and Aurnachal Pradesh.
Hyderabad	The State of Andhra Pradesh and Yanam under Union Territory of Pondicherry.
Lucknow	The Central and Eastern Zones of the State of Uttar Pradesh as defined in sub-regulation 2(b) and the six districts of Uttaranchal as defined in sub-regulation 2(c).
Chennai	The State of Tamil Nadu and Union Territory of Pondicherry.
New Delhi	The State of Rajasthan, the Western Zone of the State of Uttar Pradesh as defined in sub-regulation 2(a), the Districts of Faridabad, Gurgaon and Sonapat in the State of Haryana, the National Capital Territory of Delhi and the seven district of uttaranchal as defined in sub-section 2(c).
Patna	The States of Bihar and Jharkhand.
Thiruvananthapuram	The State of Kerala, the Union Territory of Lakshadweep and Mahe in the Union Territory of Pondicherry

(2) (a) The Western Zone of the State of Uttar Pradesh shall consist of the following districts of that State namely, Agra, Aligarh, Bulandshahar, Etah, Ghaziabad, Mainpuri, Mathura, Meerut, Muzaffarnagar, Saharanpur, Ferozabad, Hathras, Baghpat and Gautam Budh Nagar.

(b) The Central and Eastern Zones of the State of Uttar Pradesh shall consist of all that part of the State Uttar Pradesh as has not been included in the Western Zone of that State as defined in clause (a).

(c) The seven districts of the State of Uttaranchal viz Chamoli, Dehradun, Pauri, Tehri Garhwal, Uttar Kashi, Hardwar and Rudra Prayag.

(d) The six districts of the State of Uttaranchal namely Nainital, Almora, Pithoragarh, Udhamasing nagar, Bageshwar and Champawat.

Explanatory Memorandum

The Central Government has accorded approval to the above changes and accordingly, the SBI General Regulations are amended.

Footnote :

The amendments carried out earlier in the above Regulations were gazetted vide Notification No. as given below :

Notification No.	Date of Publication
45	6th November, 1999

Sd/- Illegible
Dy Managing Director &
Corporate Development Officer

Extracts from the Minutes of the Central Board Meeting held on 27th December 2000 at Mumbai

AGENDA Formation of Kerala Circle
No. 10 with Local Head Office at Thiruvananthapuram—Amendment to Regulation 47 (A)

Submitted a Memorandum dated the 12th December 2000 by the Deputy Managing Director & Corporate Development Officer recommending that for the reasons stated therein, approval be accorded (i) for amendments to the Regulation 47 (A) of State Bank of India General Regulation 1955, as mentioned in Annexure II to the Memorandum and (ii) to authorise the Deputy Managing Director & Corporate Development Officer to execute all documents, on behalf of the Bank, in connection with the notification of the above amendment in the Gazette of India.

Copies of the Memorandum had been circulated to the Directors and a copy thereof was placed before each Director present at the Meeting.

APPROVED & RESOLVED that

(i) The Regulation 47 (A) of State Bank of India General Regulations, 1955, be and is hereby amended, as mentioned in the Annexure II to the Memorandum.

(ii) Further **RESOLVED** that the Deputy Managing Director & Corporate Development Officer, be and is hereby authorised to execute all documents, on behalf of the Bank, in connection with the notification of the amendment in the Gazette of India

UCO BANK

HEAD OFFICE

PERSONNEL DEPARTMENT

12 OLD COURT HOUSE STREET

Calcutta 700001, the 16th December 2000

No. OCR/1/2000 —In exercise of the powers conferred by section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of UCO Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central

Government, hereby make the following Regulations further to amend the UCO Bank Officer employees (Conduct) Regulations, 1976 namely:—

1. (1) These Regulations may be called the UCO Bank Officer employees' (Conduct) Amendment Regulations, 2000.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the UCO Bank Officer Employees' (Conduct) Regulations, 1976, after regulation 24, the following regulation shall be inserted, namely:—

‘24 A. Prohibition of Sexual Harassment of Working Women :

(1) No officer employees shall indulge in any act of sexual harassment of any woman at her work place.

(2) Every officer employee who is in-charge of a work place shall take appropriate steps to prevent sexual harassment to any woman at such work place.

EXPLANATION— For the purpose of this regulation, “sexual harassment” includes such unwelcome sexually determined behaviour (whether directly or otherwise) as :—

- physically contact and advances ;
- a demand or request for sexual favours;
- sexually coloured remarks;
- showing pornography; or
- any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of a sexual nature.

U.S. SINGH
General Manager
(Personnel)

No. ODAR/3/2000 —In exercise of the power conferred by section 19 read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) the Board of Directors of UCO Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with previous sanction of the Central Government hereby make the following regulations, namely :—

1. Short Title and Commencement :

(1) These Regulations may be called the UCO Bank Officer Employees' (Discipline and Appeal) Amendment Regulations, 2000.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the UCO Bank Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1976 in regulation

6, for sub-regulation (2) the following shall be substituted, namely :—

“(2) Whenever the Disciplinary Authority is of the opinion that there are grounds for inquiring into the truth of any imputation of misconduct or misbehaviour against an officer employee, it may itself enquire into, or appoint any other person who is, or has been, a public servant (hereinafter referred to as the inquiring authority) to inquire into the truth thereof”.

Explanation—When the Disciplinary Authority itself holds the inquiry any reference in sub-regulation (8) to sub-regulation (21) to the Inquiring authority shall be construed as reference to Disciplinary Authority”.

U. S. SINGH
General Manager (Personnel)

Foot Note :—The amendments carried out earlier in the above regulations were Gazette as per details given below :

Notification number

1. ODAR/1/97 dated the 22nd August, 1997.
2. ODAR/1/2000 dated the 20th July, 2000.
3. ODAR/2/2000 dated the 8th August, 2000.

MINISTRY OF DEFENCE CLEMENT TOWN CANTONMENT

Dated 2001

S.R.O. No. 31/Trade and Profession Tax—
Whereas a public notice to revise the Trade and Profession Tax on 12th July, 2000 was issued by affixing the same in conspicuous part of the office of the Clement Town Cantonment Board as required by Section 61 of the Cantonment Act, 1924 for inviting objections and suggestion from all person likely to be affected thereby till the expiry of a period of thirty days from the date of publication of the said notice ;

And whereas no objection of suggestion was received by the Cantonment Board within the stipulated period;

And whereas the Central Government have duly authorised the imposition of the said tax as originally proposed by the Board as required by Section 63 of the Cantonment Acts 1924;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 60 of the said Act, and in supersession of the notification of the Government of India, in the Ministry of Defence No. S.R.O. 339 dated the 11th November 1959 published in Part II, Section 4 of the Gazette of India, the Cantonment

Board, Clement Town, with previous sanction of the Central Government hereby imposes a tax to be known as trade and profession tax leviable on every person engaged in any trade and profession or calling, within the limits of Clement Town Cantonment, the rate specified in the schedule to this notification.

- (a) A person carrying on trade and profession or calling in more than one premises shall be liable to pay the tax separately for such trade and profession or calling carried on in each premises :
- (b) A person carrying on any trade, profession or calling during the first or the second half of the year alone shall be liable only to pay two third of the tax payable of the whole year :
- (c) The aggregate amount by a person in any one year shall not exceed rupees two thousand five hundred .
- (d) Nothing contained in this notification shall :
- (i) Any person subject to the provision of the Army Act.
- (ii) Any person who is mainly dependent on agriculture as the means of this livelihood.
- (iii) Any person in service or employment on fixed remuneration whether on daily, weekly, or monthly basis.

Note :

- (A) A person would include Hindu-undivided family, firm, company and any other legal entity.
- (B) A Year will count from 1st April to 31st March.
- (C) A person shall demand to be carrying on trade profession or calling in the Cantonment even if this residence, office or store is outside the Cantonment, but the trade or calling is within the Cantonment limits.
- (D) A hawker or any trade, profession or calling unless specifically provided for, shall pay half tax prescribed for such trade, profession or calling.

J. C. UPADHYAY
Cantonment Executive Officer
Clement Town

Proposed list of Trade And Profession Tax.

Rs.

	Rs.		Rs.
1. Seller of Eggs	50.00	31. Seller of Parchuni articles i.e. Condi- ments, pulses, dry fruit, grant Atta, Sugar sira	150.00
2. Seller of Meat	60.00	32. Seller of Pansari articles	40.00
3. Seller of Poultry	50.00	33. Seller of Sugar Cane or sugar juice	25.00
4. Seller of Fish	55.00	34. Seller of Cigarette, Bidi, Betal leaves	50.00
5. Seller of Milk	50.00	35. Seller of Mattings and ropes	20.00
6. Seller of Butter	50.00	36. Seller of Earthen wares	15.00
7. Seller of Bread/Biscuits/Cakes etc.	50.00	37. Seller of Kerosene Oils	25.00
8. Seller of Games	50.00	38. Proprietor of Dairy	200.00
9. Seller of Fruits	30.00	39. Proprietor of Bakery	150.00
10. Seller of Aerated water, Ice Cream & Sharabat	40.00	40. Butcher	100.00
11. Seller of Sweet Meats	20.00	41. Manufacturer of fire Works	60.00
12. Seller of Sweet salthis thingh milk	75.00	42. Washer Man	30.00
13. Seller Homoeopathic Medicines	75.00	43. Watchmaker	40.00
14. Seller of Indigenous Medicines	75.00	44. Proprietor of a Hindola	15.00
15. Seller of grass, Bhoosa, Fodder Wood	55.00	45. Proprietor of Merry go-round	20.00
16. Seller of grass/Bhoosa, Fodder Wood (Howker)	20.00	46. Proprietor of Charkhi	25.00
17. Chemist & Druggists	100.00	47. Photographer	100.00
18. Seller of Jewellery i.e. Saraf	100.00	48. Goldsmith	60.00
19. Seller of Country Readymade cloth	60.00	49. Silversmith	30.00
20. Seller of Rugs/Furs, and Embroidery	150.00	50. Keeper of Cinema for which admission is charges	100.00
21. Seller of saddlery and leather goods	100.00	51. ASC Contractor for meat	200.00
22. Seller of Carved wood, Brass and other metal utensils	100.00	52. ASC Contractor for Pork	100.00
23. Seller and Manufacturer of Khukries	50.00	53. ASC Contractor Poultry eggs and fish chicken	100.00
24. Seller of spactacles and watches	100.00	54. ASC Contractor for live stocks	120.00
25. Seller of Glass Bangle,	25.00	55. ASC contractor for wood	160.00
26. Seller of Jam	25.00	56. ASC contractor for Vegetables, Onion & Potatoes	160.00
27. Seller or Buyer of old materials (Kabari)	25.00	57. ASC Contractor for Quick Lime	60.00
28. Seller of tooth Powder, Mosri scent	25.00	58. ASC Contractor for Fruits Dry & Fresh	60.00
29. Seller of Deshi Ghee & Vegetables	40.00	59. ASC Contractor for Hired Transport	200.00
30. Shoes Repairer	15.00	60. ASC Contractor for Mineral Water	100.00
		61. ASC Contractor for Ice	120.00

	Rs.		Rs.
62. ASC Contractor for Grass, Fodder & Bhoosa	150.00	90. Cloth Merchant	100.00
63. ASC Contractor for Charcoal	200.00	91. Vendor of cloths	60.00
64. ASC Contractor Not specified elsewhere	250.00	92. Any trade not specified elsewhere	100.00
65. PWD or MES Contractor	1000.00	93. Gold and Silver smith	60.00
66. Regimental Bania those in unit line	150.00	94. Seller of Chat	30.00
67. Regimental Contractor for Tailor	100.00	95. Seller of Fruits and vegetables shop-keeper	100.00
68. Regimental Contractor for Coffee Shop	100.00	96. Tailor with a single machine	25.00
69. Regimental Contractor for Boot Maker.	60.00	97. Tailor with more than one sewing machine	50.00
70. Regimental Contractor for Cycle Shop	100.00	98. Tea shop or Stall	75.00
71. Regimental Contractor for Washerman	50.00	99. Prop. of aerated water factory	200.00
72. Mess or Club Contractor	200.00	100. Seller of Chana & Mungphali	25.00
73. Supplier of News Papers	50.00	101. Money lender doing business for profit	500.00
74. Piggery Contractor or supplier or Piggery Product.	150.00	102. Producer and manufacturer of indigenous drugs	250.00
75. Maker & Seller of chicks, mats, Baskets	30.00	103. Dealer in letting cycles for hires	150.00
76. Dyer	20.00	104. Dealer in cycles and its parts	120.00
77. Proprietor of Tailor shop more than two tailor or seller of readymade cloth.	75.00	105. Prop. of a flour, rice or oil Mill	150.00
78. Barber	20.00	106. Vendor of english sweets drops	50.00
79. Hair cutting saloon	40.00	107. Brook Bond, Lipton or other tea supplier	100.00
80. Proprietor of shaving saloon more than two Barb	100.00	108. Contractor of Barbers	80.00
81. Proprietor of Cinema Restaurant	200.00	109. STD ISD PCO Booth	500.00
82. Vendor or sport goods	50.00	110. Electric goods shop	200.00
83. Seller of Ice Cream	30.00	111. Repair of Electronic goods	200.00
84. Proprietor of Restaurant	100.00	112. Beauty Parlour shop	200.00
85. Proprietor of Hotel	300.00	113. Video Cassettes shop & Library	200.00
86. Vendor of English wines, beer or country liquor	500.00	114. Architect Designer & Consultant Engineer	200.00
87. Seller of bricks., Bajri and stone lime	100.00	115. Share Brokers	200.00
88. Vendor of Toys	100.00	116. Cottage Industry & Factory	500.00
89. General Merchant including parchuni, Ghee, kerosene, utensils, hair oil, stationery, cigarette, trunks etc.	250.00		